नागरिक अधिकार पत्र

लोकायुक्त हरियाणा

हरियाणा राज्य के जन सेवकों के विरूद्ध आम आदमी की शिकायतों के निपटान हेतु समर्पित एक संस्था ।

हमारा उद्वेश्य :– पूर्णतः भ्रष्टाचार–मुक्त सरकारी तन्त्र ।

कार्यालय की स्थिति

हरियाणा नव सचिवालय भवन,

समीप बस स्टैंड, सैक्टर–17,

चण्ड़ीगढ़ ।

भूमिका– लोकायुक्त संस्था या ओम्बडसमैन, जैसा कि इसे अन्य देशों में जाना जाता है का गठन राज्य विधान मण्डल के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2003 में किया गया है जोकि आम आदमी को हरियाणा राज्य के किसी भी जनसेवक के विरूद्ध होने वाली शिकायतों को सरल, अपेक्षाकृत कम मंहगे व कम जटिल तथा कम समय लेने वाले तरीके से निपटा सके ।

लोकायुक्त संस्था जनता की प्रशासन के साथ सम्पर्क में आने के कारण उपजने वाली समस्याओं व शिकायतों तथा जन सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार व/या उनके द्वारा सार्वजनिक पदो ंके दुरूपयोग की शिकायतों की जांच हेतु समर्पित एक अर्द्ध–न्यायिक संस्था है ।

यह प्रशासनिक तन्त्र का और अधिक स्तर पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व सविंधान में समावेशित नीति निर्देशक सिद्धान्तों के वास्तविक अर्थों में आम आदमी के सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम है ।

हरियाणा लोकायुक्त विधेयक 2002 व हरियाणा लोकायुक्त (कृत्य शक्ति, जांच तथा अन्वेषण) नियम 2008 में समावेषित लोकायुक्त संगठन की मुख्य विशेषतायें व आम आदमी के इस संस्था से संबंधित अधिकारः–

धारा 2(म) 1. जन सेवक की परिभाषा को व्यापक रूप से विस्तृत किया गया है

व निम्नांकित पदधारकों को जन सेवक के रूप में परिभाषित किया गया हैः–

क मुख्य मंत्री , मंत्री व विधायक ।

ख राज्य के विभागों, राज्य बोर्डों व निगमों, कम्पनियों व सहकारी संस्थाओं में कोई भी पदधारक ।

ग शहरी स्वशासन संस्थाओं व पंचायत समितियों में कोई भी पदधारक ।

ध विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, सह–उपकुलपति व रजिस्ट्रार ।

ड. हरियाणा राज्य द्वारा गठित या पंजीकृत, अधिनियमित किसी भी संविधित या गैर–संविधित निकाय में कोई भी पदधारक ।

धारा 10. 2(i.) कोई भी पीड़ित व्यक्ति स्वयं या यदि उसकी मृत्यु हो गई हो या वह ऐसा कर पाने में असमर्थ हो तो उसकी और से कोई ऐसा व्यक्ति जो कानूनन उसकी सम्पत्तियों का प्रतिनिधि हो या कानूनन उसे उस मृत व्यक्ति की ओर से कार्य करने का अधिकार हो तो वह व्यक्ति उस पीड़ित व्यक्ति की ओर से शिकायत कर सकता है ।

(ii.) कोई भी व्यक्ति किसी जनसेवक के विरूद्ध निम्नॉकित कोई भी आरोप लगाते हुये शिकायत कर सकता हैः–

धारा 2ब (i) **अ–** कि जनसेवक ने जानते–बूझते व नियतन अपनी सरकारी हैसियत का अपने या किसी अन्य व्यक्ति को अवांछित लाभ पहुंचाने या हित साधने या किसी व्यक्ति को अवांछित कठिनाई में डालने या हानि पहुंचाने के लिए दुरूपयोग किया है ।

धारा 2ब (ii) **ब–** कि जनसेवक ने अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वाह अपने निजि हितों या भ्रष्ट उद्वेश्यों से प्रभावित हो कर किया है ।

धारा 2ब (iii) **स–** कि जनसेवक भ्रष्टाचार का दोषी है एवं जनसेवक के रूप में वांछित निष्ठा/ईमानदारी से विहीन है ।

धारा 2ब(iv) **द–** कि जनसेवक के पास अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से असमानुपात में वित्तीय संसाधन या सम्पत्ति है व ऐसे संसधान व सम्पत्ति या तो जनसेवक के स्वयं के पास है या उसकी और से उसके किसी परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के पास हैं ।

धारा 10(2) व नियम3 **3.**शिकायतकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना नाम, पूरा पता व उस जनसेवक जिसके विरूद्ध वह शिकायत कर रहा है

उसका नाम, पदनाम (सरकारी ओहदा) उसके पते व उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों/शिकायतों का अपनी शिकायत में जोकि विहित प्रारूप में होनी आवश्यक है, पूरा वर्णन करे । शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायतों के पक्ष में एक शपथपत्र (हलफनामा) देना भी आवश्यक है ।

धारा 8(i)

4. लोकायुक्त सरकार से संदर्भ प्राप्त होने पर किसी जनसेवक के विरूद्ध आरोपों या शिकायतों की जांच कर सकता है ।

धारा 13

5. लोकायुक्त जनसेवक के विरूद्ध जन शिकायतों/आरोपों के अन्वेषण के दौरान हरियाणा राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालय या किसी भी व्यक्ति से कोई भी रिकार्ड मंगवाकर उनकी जॉच कर सकता है। लोकायुक्त किसी भी जांच या अन्वेषण के संदर्भ मे किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना देने या कोई प्रलेख उपलब्ध करवाने हेतु आदेश दे सकता है। इस उददेश्य हेतू लोकायुक्त की विस्तृत शक्तियां सिविल प्रक्रिया कोड (सी0पी0सी0)1908 के अन्तर्गत एक सिविल न्यायालय के समान है जो कि निम्नवत् है :–

(i) किसी भी व्यक्ति को बुलाना व उसकी उपस्थिति सुनिश्चित

करना एवं शपथ पर उसका परीक्षण करना ।

(ii) किसी भी प्रलेख/कागज़ात की प्रस्तुति/उपस्थिति सुनिश्चित करवाना ।

(iii) शपथ पर साक्ष्य लेना ।

(iv) किसी भी न्यायालय या सरकारी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक प्रलेख (Record) या उसकी प्रति मंगवाना ।

(v) गवाहों या प्रलेखों के परीक्षण हेतु आदेश–पत्र (Commission) जारी करना ।

नियम 8 (2) **6.** किसी भी प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण के दौरान यदि कोई व्यक्ति लोकायुक्त के समक्ष साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होता है तो ऐसे व्यक्ति को इस बाबत लोकायुक्त कार्यालय से प्रमाण पत्र दिया जायेगा । ऐसा व्यक्ति यदि किसी निजी सेवा में है तो उसे इस दौरान कार्य/सेवा से अनुपस्थित नहीं माना जाएगा ऐसे व्यक्ति को लोकायुक्त द्वारा स्वीकृत उसके द्वारा व्यय किया गया यात्रा खर्च व गुजारा भत्ता दिया जाएगा । जो व्यक्ति निजी सेवा में नहीं है वह भी वास्तविक खर्च किए गए

किराये व गुजारे भत्ते का अधिकारी होगा । यदि ऐसा व्यक्ति जन सेवक है तो उसे उस तिथि या दिन को सरकारी ड्यूटी पर उपस्थित माना जाऐगा तथा वह अपने विभाग से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

धारा 12 (3)व नि014 (2)

7. लोकायुक्त द्वारा प्रत्येक जांच असार्वजनिक रूप से की जायेगी व शिकायतकर्ता व जांच से प्रभावित होने वाले जनसेवक की पहचान जनता या प्रेस को नहीं बताई जायेगी । परन्तु सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्ध इस उपबन्ध पर लागू होंगे ।

धारा 11

8. लोकायुक्त कोई जनशिकायत प्राप्त होने पर, यदि ऐसा उचित समझे कि वह शिकायत अन्वेषण करने लायक है तो वह उसकी प्रारम्भिक जांच कर सकता है । प्रारम्भिक जॉच से अन्वेषण करने लायक प्रयाप्त आधार प्राप्त नं हाने पर मामले को समाप्त कर शिकायतकर्ता को तदानुसार सूचित कर दिया जाऐगा ।

धारा 10 (3)

9.पुलिस हवालात, जेल, शरण स्थल या किसी भी बन्दीग्रह में बंद कोई व्यक्ति भी लोकायुक्त को पत्र लिख सकता है तथा संबंधित पुलिस अधिकारी, संबंधित जेल, शरण स्थल या बन्दीगृह के प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि उस पत्र को बिना खोले तुरन्त

लोकायुक्त तक पहुंचाये । लोकायुक्त अपनी संतुष्टी से उस पत्र को एक शिकायत के रूप में स्वीकार कर सकता है ।

धारा 18(1) **10.**किसी शिकायत की प्राप्ति पर किसी घोर अन्याय के निवारण हेतु यदि लोकायुक्त उचित समझे तो वह किसी भी जनसेवक को कोई अन्तरिम निर्देश दे सकता है ।

धारा 14 (1–ब) **11.** लोकायुक्त किसी भी भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण, निशानदेही कर सकता है या उसका नक्शा भी बना सकता है।

धारा 16 **12.** किसी व्यक्ति को जानबूझकर, झूठी व पीड़ादायी व मात्र परेशान करने की दृष्टि से शिकायत करते हुए पाये जाने पर वह अधिकतम तीन वर्ष तक के सश्रम कारावास या अधिकतम दस हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनों का भागीदार होगा ।

धारा 17 (1) **13.** किसी शिकायत की जांच के बाद यदि लोकायुक्त सन्तुष्ट हो तो वहः–

(अ) कि कोई आरोप या शिकायत साबित नहीं हो पाया/पाई है तो मामले को बन्द कर संबंधित सक्षम प्राधिकारी को तदानुसार सूचित कर देगा ।

(ब) किसी भी जनसेवक के विरूद्ध किसी शिकायत के पूर्णतया या आंशिक रूप से सही पाए जाने पर इस विषय में अपने तथ्यों, समुचित सिफारिशों एवं सुझावों को रिर्पोट के रूप में संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा एवं इस रिर्पोट की सूचना शिकायतकर्ता एवं संबंधित जन सेवक को भी देगा ।

धारा 17(2) **14.**सक्षम प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सिफारिश की गई कार्यवाही का अध्ययन कर संबंधित जनसेवक के विरूद्ध की गई कार्यवाही की रिर्पोट तीन माह के भीतर लोकायुक्त को प्रस्तुत करे ।

धारा 17 (3) व (4) **15.** लोकायुक्त अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिर्पोट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है व राज्यपाल अपने स्तर पर वह रिर्पोट राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करवातें हैं ताकि जन प्रतिनिधि व आम–जनता भी लोकायुक्त की गतिविधियों व दोषी जनसेवकों के विरूद्ध सिफारिश की गई कार्यवाही व उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही को जान सकें ।

नियम 4 **16.**शिकायत करने हेतु शिकायतकर्ता को रू0 1000/– का शुल्क

न्यायिक स्टाम्प (न्यायालय शुल्क स्टाम्प) कागज़ों में अदा करना पड़ेगा । परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा शुल्क माफी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर लोकायुक्त अपने विवेकाधिकार से उपयुक्त मामलों में शुल्क को माफ भी कर सकता है ।

धारा 8 (2)

17. लोकायुक्त की दृष्टि में किसी जनसेवक के विरूद्व लगाए आरोपों की भलीभांति जांच करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति के किसी कार्य या उसके आचरण की भी जांच करनी आवश्यक हो तो लोकायुक्त ऐसा करने में सक्षम होगा परन्तु लोकायुक्त ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का व अपने बचाव में सुबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्रदान करेगा ।

नियम 7

18. प्रारभिक जांच या अन्वेषण संचालित करते समय लोकायुक्त सरकार की अनुमति से किसी भी एजेन्सी या व्यक्ति या व्यवसायिकों जिसमें विषय विशेषज्ञ इत्यादि शामिल हैं, को उपयुक्त फीस, के भुगतान पर रख सकता है ।

19. कोई भी नागरिक लोकायुक्त संगठन से समबन्धित कोई भी सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है । इस विषय में लोकायुक्त कार्यालय

के अवर–सचिव व अधीक्षक को क्रमशः राज्य जनसूचना अधिकारी व सहायक राज्य जनसूचना अधिकारी पदनामित कर दिया गया है । इस विषय में असंतुष्ट होने पर नागरिक ''सचिव लोकायुक्त कार्यालय'' जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलिय प्राधिकारी पदनामित किया गया है, को अपील भी कर सकता है ।

20.लोकायुक्त अधिनियम 2003 के विस्तृत प्रावधान व इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये लोकायुक्त नियम 2008 तथा अन्य प्रासंगिक सूचना को सरकार की वैबसाईट www.haryana.gov.in एवं लोकायुक्त की वैबसाईट www.hrlokayukta.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है । और अधिक सूचना एवं सम्पर्क हेतु निम्न दूरभाष नं0 तथा ई–मेल पते निम्नवत् है :–

क्रमांक	**कार्यालय धारक**	**दूरभाष नं0 व फैक्स नं0**	**ई–मेल आई डी**
1.	लोकायुक्त हरियाणा चण्डीगढ	0172–2713996 0172–2540232	lokayukta@hry.nic.in
2	रजिस्ट्रार, लोकायुक्त कार्यालय, हरियाणा ।	0172–2704369	–
3.	सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, हरियाणा ।	0172-2701321	–
4.	उप–सचिव, लोकायुक्त कार्यालय हरियाणा ।	0172–2780172	–